बिहार सरकार,

बिहार कौशल विकास मिशन,

श्रम संसाधन विभाग

आदेश संख्या - BSDM/SDM-07/2020-765 पटना, दिनांक - 03.11.2021

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं का बल" के अधीन संचालित कुशल युवा कार्यक्रम विभिन्न SDC एवं BSDC के माध्यम से चलाया जा रहा है। आप अवगत हैं कि कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु Outsourcing/Sub-letting/Franchisee Mode पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र सं0 716 दिनांक 11.09.2017 के द्वारा विभिन्न संचालनकर्ताओं से केन्द्रों के Franchisee Mode में संचालित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र मांगा गया था, जिसे विभिन्न संचालनकर्ताओं के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध भी कराया गया है। तथापि केन्द्रों के Franchisee Mode में संचालित किये जाने से संबंधित कई मामले दृष्टिगोचर हुए है, जिनके विरूद्ध बिहार कौशल विकास मिशन के नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है।

पुनः इस संबंध में कुशल युवा कार्यक्रम के सभी संचालनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बिहार कौशल विकास मिशन के नियमानुसार केन्द्र का संचालन Franchisee Mode में किया जाना वर्जित है। भविष्य में Franchisee Mode में केन्द्र के संचालन के संबंध में यदि कोई मामला प्रकाश में आता है तो उस केन्द्र के विरूद्ध बिहार कौशल विकास मिशन के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

3.11.2021

मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन।